



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112024-258509
CG-DL-E-07112024-258509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2024/कार्तिक 15, 1946

No. 631]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2024/KARTIKA 15, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2024

सा. का. नि.689(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में अपर औषधि नियंत्रक, संयुक्त औषधि नियंत्रक, उप औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षक (चिकित्सा युक्तियां) (समूह 'क' और 'ख' और पद) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, चिकित्सा युक्ति ऊर्ध्वाधर में समूह ('क' और 'ख' पद) भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **प्रारंभिक गठन -** इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले नियमित आधार पर सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षक (चिकित्सा युक्ति) का पद धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के अधीन नियुक्त हुआ माना जाएगा और इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उक्त पद में ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई सेवा को वरिष्ठता के लिए पात्रता, परिवीक्षा के लिए अर्हक सेवा, सेवा में पुष्टिकरण और प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता का विनिश्चय करने के ध्यान में रखा जाएगा।6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।**अनुसूची**

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. अपर औषधि नियंत्रक (भारत)।	1 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13क (131100-216600)।
चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।		

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	
(11)	
<p>प्रोन्नति</p> <p>संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रूपये 123100 – 215900) में 2 वर्ष की ग्रेड में नियमित सेवा के साथ विभाग द्वारा विहित 02 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रूपये 123100 – 215900) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा प्रदान की हो;</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-</p> <p>आवश्यक अर्हता :</p> <p>(अ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या शल्यकर्म इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या औषध-भेषजीय विज्ञान या आयुर्विज्ञान के साथ नैदानिक औषध विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में मास्टर डिग्री;</p> <p>(ii) चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या डिजाइनिंग में 14 वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(आ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या शल्यकर्म इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या औषध-भेषजीय विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में स्नातक की डिग्री;</p> <p>(ii) चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या डिजाइनिंग में 16 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : सुसंगत क्षेत्र में पीएच.डी.</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
(12)		(13)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग		– अध्यक्ष;	
2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		– सदस्य;	
3. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा		– सदस्य।	
(1)	(2)	(3)	(4)
2. संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत)।	4* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900)।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(9)		(10)	
लागू नहीं होता।		प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।	
(11)			
प्रोन्नति			
उप औषधि नियंत्रक (भारत) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रूपये 78800 – 209200) में 5 वर्ष की ग्रेड में नियमित सेवा के साथ विभाग द्वारा विहित 02 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।			
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।			
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):			
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी:			
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या			
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रूपये 78800 – 209200) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा प्रदान की हो;			
(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-			

आवश्यक अर्हता :

(अ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या शल्यकर्म इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या औषध-भेषजीय विज्ञान या आयुर्विज्ञान के साथ नैदानिक औषध विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में मास्टर डिग्री;

(ii) चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या डिजाइनिंग में 12 वर्ष का अनुभव।

या

(आ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या शल्यकर्म इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या औषध-भेषजीय विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में स्नातक की डिग्री;

(ii) चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या डिजाइनिंग में 14 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष;		
2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	- सदस्य;		
3. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	- सदस्य।		
(1)	(2)	(3)	(4)
3. उप औषधि नियंत्रक (भारत)।	11 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200)।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(9)		(10)	
लागू नहीं होता।		प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।	

(11)

प्रोन्नति

सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रूपये 67700 – 208700) में 5 वर्ष की ग्रेड में नियमित सेवा के साथ विभाग द्वारा निर्धारित 02 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त या क्रान्ती संगठनों के अधीन अधिकारी:

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (रूपये 67700 – 208700) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा प्रदान की हो;

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

(अ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या शल्यकर्म इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या औषध-भेषजीय विज्ञान या आयुर्विज्ञान के साथ नैदानिक औषध विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में मास्टर डिग्री;

(ii) चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या डिजाइनिंग में 8 वर्ष का अनुभव।

या

(आ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या शल्यकर्म इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या औषध-भेषजीय विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में स्नातक की डिग्री;

(ii) चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या डिजाइनिंग में 10 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष;		
2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	- सदस्य ;		
3. औषधि नियंत्रक (भारत)	- सदस्य।		
(1)	(2)	(3)	(4)
4. सहायक औषधि नियंत्रक (भारत)।	48 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700 - 208700)।
(5)	(6)	(7)	
चयन पद।	40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।	<p>आवश्यक अर्हता :</p> <p>(अ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या शल्यकर्म इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या औषध-भेषजीय विज्ञान या आयुर्विज्ञान के साथ नैदानिक औषध विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में मास्टर डिग्री;</p> <p>(ii) चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या डिजाइनिंग में 4 वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(आ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या जैव प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या शल्यकर्म इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या औषध-भेषजीय विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में स्नातक की डिग्री;</p> <p>(ii) चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या डिजाइनिंग में 6 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित</p>	

		रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	1. 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 2. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।
(11)		
प्रोन्नति		
<p>औषधि निरीक्षक (चिकित्सा उपकरण) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रूपये 47600 – 151100) में 8 वर्ष की ग्रेड में नियमित सेवा के साथ विभाग द्वारा विहित 02 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>		
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):		
<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (रूपये 56100 – 177500) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष सेवा प्रदान की हो;</p> <p>या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (रूपये 53100 – 167800) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात 7 वर्ष सेवा प्रदान की हो;</p> <p>या</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (रूपये 47600 – 151100) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात 8 वर्ष सेवा प्रदान की हो; और</p> <p>(ख) जिसके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।</p>		
<p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p>		
<p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
<p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

(12)		(13)	
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. औषधि नियंत्रक (भारत) केन्द्रीय औषधि मानक और नियंत्रण संगठन - सदस्य; और</p> <p>4. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता) महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा - सदस्य।</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. औषधि नियंत्रक (भारत) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य;</p> <p>3. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा - सदस्य।</p>		<p>सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>	
(1)	(2)	(3)	(4)
5. औषधि निरीक्षक (चिकित्सा युक्तिया)।	85 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600 - 151100)।
(5)	(6)	(7)	
चयन पद।	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग यथा विज्ञापित होगी।	<p>अर्हता :</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव चिकित्सा या रसायन या यांत्रिक या विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स या शल्यकर्म या जैव प्रौद्योगिकी या पॉलिमर या कंप्यूटर विज्ञान या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से भेषजी या भेषजी विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान में स्नातक की डिग्री;</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>	

		टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हता: नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	1. 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 2. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।
(11)		
प्रोन्नति		
<p>सहायक औषधि निरीक्षक (चिकित्सा युक्तियां) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रूपये 35400 – 112400) में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अपेक्षा के अनुसार चिकित्सा युक्तियों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के मूल्यांकन में 2 सप्ताह अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रूपये 44900 – 142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात 2 वर्ष सेवा प्रदान की हो;</p> <p>या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रूपये 35400 – 112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष सेवा प्रदान की हो;</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के</p> <p>ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा - सदस्य।	सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), महानिदेशालय स्वास्थ्य सेव - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/02/2023-डीआरएस]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2024

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Additional Drugs Controller, Joint Drugs Controller, Deputy Drugs Controller, Assistant Drugs Controller and Drugs Inspector (Medical Devices) (Group 'A' and 'B' Posts) in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Medical Device Vertical (Group 'A' and 'B' Posts), Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix.**- The number of posts, their classification, and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Initial Constitution.**- The incumbents holding the post of Assistant Drugs Controller and Drugs Inspector (Medical Device) on regular basis before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by such person in the said post prior to the commencement of these rules shall be taken into account for deciding their eligibility for seniority, qualifying service for probation, confirmation and promotion in the service.

6. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Additional Drugs Controller (I).	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 13 A in the pay matrix (Rs. 131100- 216600).
Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.		
(5)	(6)		
Selection post.	Not applicable.		
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		
(7)	(8)		
Not applicable.	Not applicable		
Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	
(9)	(10)	(11)	
Not applicable.	By promotion failing which deputation (including short term contract).	<p>Promotion: Joint Drugs Controller (I) in level 13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix with two years regular service in the grade having successfully completed two weeks mandatory training as prescribed by the department.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Union territories Administrators or recognised research institutions or Public Sector Undertakings or recognised University or autonomous or statutory organisations:</p>	

		<p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 13(Rs.123100-215900)in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>Essential qualification:</p> <p>(A) (i) Masters degree in Bio Medical Engineering or Chemical Engineering or Bio-Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with Clinical Pharmacology or Microbiology or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) fourteen years' experience in manufacturing or testing or regulation or designing of medical devices.</p> <p>or</p> <p>(B) (i) Bachelors degree in Bio Medical Engineering or Chemical Engineering or Bio-Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Microbiology or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) sixteen years experience in manufacturing or testing or regulation or designing of medical devices.</p> <p>Desirable:</p> <p>Ph.D in relevant field.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)		(13)	
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairperson or member of the Union Public Service Commission - Chairperson; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - member; 3. Director General Health Services - member.		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Joint Drugs Controller (I).	4* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).
(5)	(6)		
Selection post.	Not applicable.		
(7)	(8)		
Not applicable.	Not applicable.		
(9)	(10)	(11)	
Not applicable.	Promotion failing which deputation (including short term contract).	<p>Promotion Deputy Drugs Controller (I) in level 12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks mandatory training as prescribed by the department.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under Central Government or State Governments or Union territories Administrators or recognised research institutions or Public Sector Undertakings, recognised University or autonomous, statutory organisations;</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience: -</p>	

		<p>Essential qualification:</p> <p>(A) (i) Masters degree in Bio Medical Engineering or Chemical Engineering or Bio-Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with Clinical Pharmacology or Microbiology or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) twelve years' experience in manufacturing or testing or regulation or designing of medical devices.</p> <p>or</p> <p>(B) (i) Bachelors degree in Bio Medical Engineering or Chemical Engineering or Bio-Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Microbiology or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) fourteen years' experience in manufacturing or testing or regulation or designing of medical devices.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	(13)	
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairperson or Member of the Union Public Service Commission - Chairperson; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Member; 3. Director General Health Services - Member. 		<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Deputy Drugs Controller (I).	11* (2024) to dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.
(5)	(6)		
Selection post.	Not applicable.		
(7)	(8)		
Not applicable.	Not applicable.		
(9)	(10)	(11)	
Not applicable.	Promotion failing which deputation (including short term contract).	<p>Promotion</p> <p>Assistant Drugs Controller (I) in level 11(Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks mandatory training as prescribed by the department.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):-</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union territories Administrators or recognised research institutions, Public Sector Undertaking or recognised University or statutory or autonomous organisations;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment in the post on a regular basis in the level-11(Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience: -</p> <p>(A) (i) Masters degree in Bio Medical Engineering or Chemical Engineering or Bio-Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with Clinical Pharmacology or Microbiology or Bio-Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) eight years' experience in manufacturing or testing or regulation or designing of medical devices.</p>	

		<p>or</p> <p>(B) (i) Bachelors degree in Bio Medical Engineering or Chemical Engineering or Bio-Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Microbiology or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) ten years' experience in manufacturing or testing or regulation or designing of medical devices.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)		(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Chairperson or Member of the Union Public Service Commission – Chairperson;</p> <p>2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare – Member;</p> <p>3. Drugs Controller (India) – Member.</p>		<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Assistant Drugs Controller (I).	48* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.
(5)		(6)	
Selection post.			<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.</p>
(7)		(8)	
<p>Essential qualification:-</p> <p>(A) (i) Masters degree in Bio Medical Engineering or Chemical</p>			Not applicable.

Engineering or Bio- Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with Clinical Pharmacology or Microbiology or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised University or institute;

(ii) four years' experience in manufacturing or testing or regulation or designing of medical devices.

Or

(B) (i) Bachelors degree in Bio Medical Engineering or Chemical Engineering or Bio- Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Microbiology or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised University or institute;

(ii) Six years' experience in manufacturing or testing or regulation or designing of medical devices.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)
<p>two years for direct recruits.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>1. fifty per cent by direct recruitment</p> <p>2. fifty per cent by Promotion failing which deputation (including short term contract).</p>	<p>Promotion:</p> <p>Drugs Inspectors (Medical Devices) in level 8 (Rs. 47600-151100) of pay matrix with eight years regular service in the grade and having successfully completed two weeks mandatory training as prescribed by the competent authority.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):-</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or union territories Administrators or recognised research institutions or Public Sector Undertaking, University or statutory or Autonomous organisations;</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(iii) with seven years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(iv) with eight years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the</p>

		same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.
(12)	(13)	
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairperson or Member of the Union Public Service Commission - Chairperson ; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Member; 3. Drugs Controller (India), Central Drugs Standard and Control Organisation - Member; and 4. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services, - Member. <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Drugs Controller (India), Central Drugs Standard and Control Organisation - Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services, - Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment and promotion.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Drugs Inspector (Medical Devices).	85* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs 47600-151100) in the pay matrix.
(5)	(6)		
Selection post.	Not exceeding thirty Years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.		
(7)	(8)		
Qualification: Bachelors of engineering technology in Bio Medical or Chemical or Mechanical or Electrical or Electronics or Instrumentation or Bio-Technology or Polymer or Computer Science or Medical Electronics Engineering from a recognised university or institute;	Age: No Educational Qualification: No		

<p>or</p> <p>Bachelors degree in Pharmacy or Pharmaceutical Science or Microbiology or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences from a recognised university or institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for reason to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		
(9)	(10)	(11)
<p>two years for direct recruits.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fifty per cent by direct recruitment. 2. Fifty per cent by Promotion failing which deputation (including short term contract). 	<p>Promotion:</p> <p>Assistant Drugs Inspector, (Medical Devices) in level - 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with six years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in evaluation of safety, efficacy and quality of Medical Devices as per requirement of Drugs and Cosmetics Act, 1940.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):-</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union territories Administrators or recognised research institutions or Public Sector Undertaking or University or Statutory, autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/ department;</p> <p>or</p>

		<p>(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(iii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty -six years as on the last date of receipt of applications</p>
(12)	(13)	
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Drugs Controller (India) - Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services- Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for (considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Drugs Controller (India) - Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services - Member. 		<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment.</p>

[F.No. A-12018/02/2023-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost)